बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग
आदेश

आ0सं0–6 / एन–08–185 / 2018............ / पटना–15, दिनांक–

नर्सेज ट्रेनिंग–रिकोगनिशन एफिलिएशन एवं कंडक्ट ऑफ इक्जामिनेशंस ऑफ स्कूल ऑफ नर्सिंग रूल्स, 1997 के नियम–04 के उपनियम–II के अन्तर्गत वर्णित प्रावधानानुसार नर्सिंग संस्थानों की स्थापना के लिए अनुमति प्रदान किया जाता है। तदोपरान्त उपनियम–III के आलोक में विशेषज्ञ समिति द्वारा संस्थान का निरीक्षण कराकर मान्यता प्रदान किया जाता है। राज्य सरकार नर्सिंग शिक्षा में गुणात्मक सुधार के लिए प्रतिबद्ध एवं सतत् प्रयासरत है। इसके निमित नर्सिंग संस्थान की स्थापना हेतु अनुमति, पाठ्यक्रम की मान्यता, औचक जांच तथा सीट वृद्धि के लिए दो आवेदन प्रपत्र / चेकलिस्ट निर्गत किया जाता है। अनुमति का चेकलिस्ट चार पन्नों में तथा मान्यता का चेकलिस्ट छः पन्नों में संलग्न है।

2–दोनों चेकलिस्ट आदेश निर्गत की तिथि से प्रभावी होगा। आदेश निर्गत की तिथि से मान्यता के लिए निरीक्षण प्रतिवेदन निर्गत होने वाले चेकलिस्ट में ही अनिवार्य रूप से जमा किये जायेगे। पूर्व से प्रचलित चेकलिस्ट में जांच प्रतिवेदन स्वीकार्य नहीं किये जायेगें।

3–अनुमति प्राप्त संस्थान भी मान्यता के लिए आवेदन नये चेकलिस्ट के अनुसार ही समर्पित करेंगे।

4–संस्थानों की स्थापना के लिए अनुमति आवेदन निर्गत किये जाने वाले चेकलिस्ट में ही स्वीकार्य किये जायेगें। पूर्व से अनुमति हेतु प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जायेगा। नये चेकलिस्ट में आवेदन समर्पित करने पर ही विचार किया जा सकेगा। इसके निमित संस्थान प्रक्रियाओं का अनुपालन करते हुए नये सिरे से अनुमति हेतु आवेदन कर सकेंगे।

5–सरकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह0 / –
(राधेश्याम साह)
सरकार के विशेष सचिव।

ज्ञापांक :– 989(6) पटना, दिनांकः–05/08/19

प्रतिलिपिः– माननीय मंत्री, स्वास्थ्य के आप्त सचिव / प्रधान सचिव, स्वास्थ्य के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः– निदेशक प्रमुख (नर्सिंग), स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः– सभी अपर निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः– सभी नर्सिंग संस्थानों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः– आई0टी0 मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को आम सूचनार्थ वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित

सरकार के विशेष सचिव।